संख्या-59/2022/001-410-2162302-12-5002-002-1-2022

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 16 जुलाई, 2022**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रथम त्रैमास हेतु लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थ व्यवस्था तथा सांख्यिकी, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ, 0104-इन्ट्रीगेटेड स्कीम आन एग्रीकल्चर सेन्सस इकोनामिक्स एण्ड स्टैटिस्टिक्स योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एस0-1057/इन्ट्रीग्रेटेड वि0स्वी0 प्रस्ताव/2022-23, दिनांक 11.07.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थ व्यवस्था तथा सांख्यिकी, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ, 0104-इन्ट्रीगेटेड स्कीम आन एग्रीकल्चर सेन्सस इकोनामिक्स एण्ड स्टैटिस्टिक्स योजनान्तर्गत प्रथम त्रैमास हेतु निम्न विवरण के अनुसार रू० 342.75 लाख (रूपया तीन करोड़ बयालिस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(धनराशि लाख रू० में)

मानक मद	वित्तीय स्वीकृति
01-वेतन	228.75
03-मंहगाई भत्ता	91.50
55-मकान किराया भत्ता	22.50
योग	**342.75 लाख**

2- यह धनराशि मात्र वेतन, भत्ते एवं आवश्यक अधिष्ठान मदों पर ही व्यय की जाय। कृषि निदेशक, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जा रहा है।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तथा भारत सरकार से सहमति के अनुरूप किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव के अनुरूप भारत सरकार के गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे मद में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

8- ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशालय का होगा।

9- शासकीय व्यय में मितव्ययिता आवश्यक है, अत: वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों सहित मितव्ययिता के संबध में जारी शासनादेश का पालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

10- अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा।

11- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06-06-1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबन्धन एंव शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टेण्टईस ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चत किया जायेगा।

12- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0104-इन्ट्रीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनामिक एण्ड स्टैटिस्टिक्स के अन्तर्गत मानक मद 01-वेतन, 03-महंगाई भत्ता एवं 55-मकान किराया भत्ता के नामें डाला जायेगा।

13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आदेश उक्त शासनादेश में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401001110104 (इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनॉमिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	011	2401001110104 इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनॉमिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	01 वेतन	2,28,75,000 (रुपये दो करोड़ अट्ठाईस लाख पचहत्तर हजार मात्र)
2	011	2401001110104 इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनॉमिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	03 मंहगाई भत्ता	91,50,000 (रुपये इक्यानबे लाख पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3	011	2401001110104 इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनॉमिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	55 मकान किराया भत्ता	22,50,000 (रुपये बाईस लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**3,42,75,000** **(रुपये तीन करोड़ बयालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)**

महायोग	3,42,75,000 (रुपये तीन करोड़ बयालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधिनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-59/2022/001-410-2162302-12-5002-002-1-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (आडिट/सिविल) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. अवर सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
7. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
10. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3।
12. गार्ड फाइल।

भवदीय,
राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in